प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2023**................
2. प्र.इ.रि.सं. 104/23 .... **/2023**............. दिनांक 02/5/2023 ....
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)**. धारा – **7......**
   (II) * अधिनियम ....धारा – ....
   (III) * अधिनियम..................................–.............................. धाराएं.......................–.......................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–...
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....36...................समय.........3:00 pm..........................
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– मंगलवार   दिनांक 17.01.2023
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....11.01.2023 वक्त 05.40 पी.एम..... ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – पश्चिम दिशा 4 किमी
   (ब) पता – बीकानेर
   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं..........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–................................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री प्रबल कुमार**
   (ब) पिता/पति का नाम – **श्री रमेश कुमार पंवार**
   (स) जन्म तिथि/आयु – **45 वर्ष**
   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा – **हैल्थ मैनेजर एन.एच. एम(संविदा)** सैटेलाईट एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय बीकानेर
   (ल) पता – गली नम्बर 04, हनुमान हथा बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

   श्री अवनीश कुमार पुत्र श्री सत्यपाल उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम बिशनपुरा(30 पीएस) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवास बी 34 सादुलगंज बीकानेर हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, भौतिक सत्यापन दल सं. 16 बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–...
11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 11.01.2023 को श्री महावीर प्रसाद शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो(एसयू), बीकानेर ने मन् पुलिस निरीक्षक गुरमेलसिंह को अपने कक्ष में बुलाया तथा अपने पास बैठे व्यक्ति का परिचय श्री प्रबल कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार पंवार जाति पंवार उम्र 45 साल निवासी गली नम्बर 04, हनुमान हथा बीकानेर हाल हैल्थ मैनेजर एन.एच.एम(संविदा) सैटेलाईट एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय बीकानेर होना बताया तथा श्री प्रबल कुमार पंवार का प्रार्थना पत्र मुझे सुपुर्द कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी प्रबल कुमार पंवार का प्रार्थना पत्र व प्रबल कुमार पंवार को अपने साथ लेकर मै कक्ष में पहुंचा तथा प्रबल कुमार पंवार के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा श्री प्रबल कुमार पंवार ने पूछने पर बताया कि मैं हैल्थ मैनेजर एन.एच.एम(संविदा) सैटेलाईट एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय बीकानेर के पद पर वर्ष 2009 से लगातार पदस्थापित हूं। हमारे कार्यालय में लेखाधिकारी पद रिक्त होने से श्री चन्द्रशेखर द्वितीय सहायक लेखाधिकारी मेडीकल कॉलेज बीकानेर को अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। पिछले 7–8 माह से चन्द्रशेखर मेरे से मानदेय बिल पास करने की एवज में पार्टी का बहाना बताकर रिश्वत की मांग करता है। श्री चन्द्रशेखर मेरे रेशनेलाईजेशन/एरियर में बेवजह कटौती की तथा स्पष्ट आदेश मिलने के बाद रेशनेलाईजेशन/एरियर का लाभ व माह दिसम्बर का मानदेय नहीं दिया गया है। वितिय वर्ष 2022–23 में मिलने वाले वार्षिक मानदेय अभिवृद्धि के बदले उक्त कामों के बदले 2000/– रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। करीब एक सप्ताह से हमारे चिकित्सालय की ऑडिट चल रहीहै। जिसमें जान बुझकर ऑडिट वालो को कहकर मेरी फाईलों, मेरी सेवा एग्रीमेंट सही नही होने का कहकर मुझे बार बार श्री चन्द्रशेखर के कहेनुसार बुलाया जा रहा है। ऑडिटर श्री अवनीश डेलू द्वारा मेरी फाईल की ऑडिट में पैरा बनोन का भय दिखाकर मेरे से 20000/– रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है।मैं उनसे बात करूंगा तो वो मेरे से प्रत्यक्ष रिश्वत की मांग कर सकते है। चन्द्रशेखर एकाउन्टेट व अवनीश डेलू ऑडिटर से मेरा कोई उधारी का लेन देन नहीं है, ना ही कोई आपसी रंजिश है। मैं इन्हे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करे। पूछताछ व परिवादी के प्रार्थना पत्र से मामला पीसी एक्ट की परिधी में आता है। अतः आईन्दा रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। वक्त 06:00 पी.एम पर परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने बाबत बताने पर श्री प्रबल कुमार ने बताया कि कल दिनांक 12.01.2023 को चन्द्रशेखर एकाउटेंट या श्री अवनीश डेलू ओडिटर से वार्ता कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि 482 को अपने कक्ष में बुलाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड कार्यालय हाजा के मालखाना से मंगवाया गया। परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार से श्री योगेन्द्रसिंह कानि का आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू, बंद करने व वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि श्री प्रबल कुमार पंवार को समझाई गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित किया गया। परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार ने बताया कि आप कल दिनांक 12.01.2023 को श्री योगेन्द्रसिंह कानि को मेरे कार्यालय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर देकर भेज देना मैं कल वार्ता कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार व श्री योगेन्द्रसिंह कानि को एक दुसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाये गये। बाद हिदायत कर श्री प्रबल कुमार पंवार को वक्त 06:15 पी.एम पर फारीग किया गया।

दिनांक 12.01.2023 वक्त 11:20 ए.एम पर परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि अभी थोडी देर में मेरी संदिग्ध अधिकारी से बात हो सकती है आप श्री योगेन्द्रसिंह कानि को वॉयस रिकॉर्डर देकर मेरे कार्यालय भेज देवे। जिस पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि को वॉयस रिकॉर्डर जिसमें नया मैमोरी कार्ड डाला हुआ है, सुपुर्द कर एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय बीकानेर पहुंचकर परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 08:05 पी.एम पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय बीकानेर पहुंचा तथा परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार से सम्पर्क किया। परिवादी ने बताया कि चन्द्रशेखरजी मेडीकल कॉलेज बीकानेर में मिलेंगे जहां मैं उनसे वार्ता करूंगा। फिर हम दोनों वहां से रवाना होकर मेडीकल कॉलेज बीकानेर के पास पहुंचे। मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके श्री प्रबल कुमार पंवार को दे दिया। श्री प्रबल कुमार

मेडीकल कॉलेज बीकानेर में चला गया व मैं बाहर ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडा हो गया। कुछ समय बाद श्री प्रबल कुमार उपस्थित आया जिससे मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि चन्द्रशेखर से मेरी बात हुई है परन्तु उनके द्वारा रिश्वत की मांग नहीं की गई है। जिस पर मैं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर कार्यालय आ गया व श्री प्रबल कुमार अपने ऑफिस चला गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय लैपटोप से कनेक्टर कर चला कर सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होनी पायी गई परन्तु वार्ता में रिश्वत मांग के तथ्य नहीं पाये गये। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 16.01.2023 वक्त 10:30 ए.एम पर परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार उपस्थित आया व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के पत्रांक 12393 दिनांक 5.12.2022 व मिशन निदेशक एनएचएम राजस्थान जयपुर के पत्रांक 2586 दिनांक 18.11.2022 की फोटो प्रति पेश की। श्री प्रबल कुमार पंवार ने बताया कि दिनांक 12.01.2023 को श्री योगेन्द्रसिंह कानि मेरे पास डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर आया था। हम दोनों मेडीकल कॉलेज बीकानेर गये थे। श्री योगेन्द्रसिंह ने मुझे वॉयस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द किया था। मैं मेडीकल कॉलेज में जाकर श्री चन्द्रशेखर सहायक लेखाधिकारी से मैंने बातचीत की थी परन्तु उन्होने मेरे से रिश्वत की मांग नहीं की थी। मैं वापिस आया मेडीकल कॉलेज के बाहर आया तो श्री योगेन्द्रसिंह कानि ने मेरे से वॉयस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास रख लिया। मैंने योगेन्द्रसिंह को बताया कि मेरी चन्द्रशेखर लेखाधिकारी द्वितीय से बात हुई है परन्तु उन्होने रिश्वत की मांग नहीं की है। उसके बाद श्री योगेन्द्रसिंह डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर आपके कार्यालय के लिए रवाना हो गया था। ऑडिट पार्टी मुझे बार बार बुला रही है आज वो मेरे से रिश्वत की मांग कर सकते है। दिनांक 12.01.2023 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी द्वारा श्री चन्द्रशेखर सहायक लेखाधिकारी से की गई वार्ता को रिकॉर्ड किया था। श्री योगेन्द्रसिंह कानि को अपने कक्ष में बुलाया गया। परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार व श्री योगेन्द्रसिंह कानि के समक्ष वार्ता के डिजीटल वायस रिकॉर्डर को कार्यालय लैपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो वार्ता में रिश्वत मांग के तथ्य नहीं पाये गये। इसलिए उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार नहीं करने का निर्णय लिया गया। वक्त 12:15 पी.एम पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि 482 को कार्यवाही में प्रयुक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी प्रबल कुमार पंवार व श्री योगेन्द्रसिंह कानि 482 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिए एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय बीकानेर के लिए रवाना किया गया। वक्त 05:30 पी.एम पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि 482 उपस्थित आया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि परिवादी का ऑडिट पार्टी के सदस्यों से सम्पर्क नहीं हुआ है। परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार ने मुझे बताया कि आप कल डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर मेरे पास मेरे चिकित्सालय में कल दिनांक 17.01.2023 को आ जाना। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 17.01.2023 वक्त 11:00 ए.एम पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि 482 को कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय बीकानेर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 06:10 पी.एम पर परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार व श्री योगेन्द्रसिंह कानि 482 उपस्थित आये। श्री योगेन्द्रसिंह कानि ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय बीकानेर परिवादी के पास पहुंचा। करीब साढे चार–पौने पांच बजे परिवादी ने मुझे बताया कि ऑडिट पार्टी के सदस्य श्री अवनीश मेरे हॉस्पील कैम्पस में आ गया है जिस पर मैंने डिजीटल टेप वॉयस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को दिया था। करीब एक घन्टे बाद परिवादी प्रबल कुमार मेरे पास आया जिस पर मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी अवनीश से बातचीत हो गई है जिसे मैंने ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है। फिर हम दोनों वहां से रवाना होकर कार्यालय पहुंचे है। परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार ने बताया कि श्री योगेन्द्रसिंह कानि मेरे पास दोपहर को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर मेरे कार्यालय में आये थे। करीब साढे चार–पौन पांच बजे श्री अवनीश ऑडिटर हमारे हॉस्पीटल में आने पर मैंने श्री योगेन्द्रसिंह कानि को बताया तो उन्होने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके मुझे दिया। मैंने अवनीश ऑडिटर से बातचीत की तो उन्होने मेरे कार्यालय का रिकॉर्ड देखते हुए बातचीत की, मेरी नियुक्ति के सम्बन्ध में ऑडिट पैरा नहीं बनाने के बदले मेरे काम के बदले 15000/– व अन्य कर्मचारी(श्री डूंगरदत रंगा कम्प्युटर ऑपरेटर) की नियुक्ति के सम्बन्ध में पैरा नहीं बनाने के बदले 5000/– रूपये कुल

20000/– रूपये रिश्वत की मांग की। वार्ता को मैंने ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार व श्री योगेन्द्रसिंह कानि के समक्ष डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय लैपटोप से कनेक्टर सुना गया तो परिवादी के कथन की ताईद हुई। परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार को वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के लिए कहा तो उन्होने बताया कि अभी रात्री का समय हो चुका है, मुझे धर जाना जरूरी है मैं कल आपके कार्यालय में सुबह रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 18.01.2023 वक्त 10:50 ए.एम पर परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार उपस्थित आया व बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15000/– रूपये साथ लाया हूं। जिस पर वक्त 11:00 ए.एम पर श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर के नाम की तहरीर देकर गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 11:40 ए. एम पर श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक हमराह श्री भारतेन्दू गोयल कनिष्ठ लेखाकर व श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक के उपस्थित आये। वक्त 11:45 ए.एम पर श्री भारतेन्दू गोयल कनिष्ठ लेखाकर व श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक जिला परिषद बीकानेर को कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी सहमति दी। जिस पर उक्त दोनों का परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी की रिपोर्ट व रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से दोनों स्वतन्त्र गवाहान को अवगत करवाया गया। परिवादी श्री प्रबल कुमार ने भी तथ्यों की ताईद की। वक्त 12:00 पी.एम पर परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार, स्तन्त्र गवाहान श्री भारतेन्दू गोयल, श्री निर्मल स्वामी व श्री योगेन्द्रसिंह कानि की उपस्थिति में रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है को कार्यालय लैपटोप से कनेक्टर किया तो डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन के समय दिनांक 17.01.2023 को परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार व श्री अवनीश ऑडिटर के मध्य हुई वार्ता रिकॉर्ड है। उक्त वार्ता को सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में दिनांक 17.01.2023 को रिकॉर्ड वार्ता की लैपटोप के माध्यम से दो डीवीडी श्री योगेन्द्रसिंह कानि से तैयार करवायी जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक डीवीडी को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक डीवीडी को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमारी कार्ड अग्रिम कार्यवाही हेतु डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रहने दिया जाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित मन् पुलिस निरीक्षक के पास रखा गया।

वक्त 03:50 पी.एम पर परिवादी श्री प्रबल कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार पंवार जाति पंवार उम्र 45 साल निवासी गली नम्बर 04, हनुमान हथा बीकानेर हाल हैल्थ मैनेजर एन.एच. एम(संविदा) सैटेलाईट एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय बीकानेर ने मन पुलिस निरीक्षक गुरमेल सिंह के निर्देश पर रूबरू उपरोक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु 500–500 रूपये के 30 नोट कुल 15000/– रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये, जिनका विवरण फर्द पेशकशी में अंकित किये गये। श्री बृजमोहनसिंह हैड कानि 23 ए.सी.बी. एस.यू. बीकानेर से फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की शीशी मंगवाकर एक अखबार के कागज पर उक्त सभी नोटों को रखवाकर श्री बृजमोहनसिंह हैड कानि से नोटो पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार की जामा तलाशी गवाह श्री भारतेन्दू गोयल से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया। उक्त पाउड़र लगे नोट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे के दाहिनी जेब श्री बृजमोहनसिंह हैड कानि से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी श्री अवनीश या अवनीश के कहे अनुसार दलाल असलम को रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे, उससे हाथ नहीं मिलावें, लेनदेन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि के लेन–देन के बाद किसी बहाने से ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर फैरकर ईशारा करे, यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. 9414500599 पर मिस्ड कॉल/कॉल करके इशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में श्री बृजमोहनसिंह हैड कानि के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं

सोड़ियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फथलीन पाउड़र की आपसी रसायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धोकर कार्यालय में ही रखा गया। श्री बृजमोहनसिंह हैड कानि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी में शामिल समस्त स्टाफ ने अपने–अपने हाथ साफ पानी से धोये। परिवादी को उसका मोबाइल साथ रखने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात ब्यूरो के कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को वक्त लेन–देन वार्ता रिकार्ड हेतु सुपूर्द किया गया। फर्द नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मानकर अपने अपने हस्ताक्षर किए।

वक्त 04:10 पी.एम पर परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार के मोबाईल नम्बर 9829560035 से असलम के मोबाईल नम्बर 7727890209 पर कॉल करवायी गई तो वार्ता में असलम ने कहा कि मेरे से क्या काम है आप अवनीश से मिलो, मैंने तो स्टोर की ऑडिट करवा दी है। आप अवनीश से बात करो। आपका कोई पैरा नहीं बनायेंगे आप मस्त रहो। वक्त 04:12 पर ही परिवादी के मोबाईल से आरोपी अवनीश के मोबाईल नम्बर 9587438567 पर वार्ता करवायी तो उसका मोबाईल बंद आया। वक्त 04:15 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी अवनीश के सहकर्मी श्री संजय गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414230357 पर वार्ता करवायी तो उन्होने कहा कि अवनीश मेरे पास नही है। उक्त वार्ताओं को ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वक्त 04:25 पीएम पर परिवादी को हिदायत कि जब भी अवनीश डेलू या उसका कोई दलाल आपसे सम्पर्क करे तो अविलम्ब मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवावे। अब आज कार्यवाही की सम्भावना नहीं है जिस पर परिवादी श्री निर्मल स्वामी से परिवादी श्री प्रबल कुमार पंवार की पिछली जेब से पाउडरयुक्त राशि(रिश्वत में दी जाने वाली राशि) निकलवाकर एक सफेद कागज में लिपटवाकर मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर भी परिवादी से लिया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त 04:45 पी. एम पर परिवादी के मोबाईल पर श्री चन्द्रशेखर सहायक लेखाधिकारी के मोबाईल नम्बर 7568405751 से फोन आया तो वार्ता को डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। वार्ता में चन्द्रशेखर ने परिवादी से व पूछा की आप कहा हो, मैं जयपुर आया हू कुछ सूचना चाहिए थी। चन्द्रशेखर ने परिवादी से कार्यालय सम्बन्धी ही वार्ता की थी। रिश्वत के सम्बन्ध में कोई वार्ता नहीं की। वक्त 04:50 पी.एम पर परिवादी व गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर फारीग किया गया।

दिनांक 02.03.2023 वक्त 01.30 पीएम पर परिवादी श्री प्रबल कुमार कार्यालय में उपस्थित आया व एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो एसयू बीकानेर के नाम से इस आशय का पेश किया कि' दिनांक 18.01.2023 को श्री अवनीश (ऑडिटर) की ट्रेप कार्यवाही हेतु मैने 15000 रू की राशि रिश्वत के रूप में देने हेतु उपलब्ध करवाई थी। दिनांक 18.01.2023 को मै पूरा दिन मेरे कार्यालय में उपस्थित नही रहने के कारण उनकों मेरे उपर शक हो गया था, कयोकि अवनीश (ऑडिटर) ने रिश्वत की राशि असलम को देने बाबत कहा था,मैने असलम से सम्पर्क किया तो असलम ने बोला कुछ मत करो, शांत बैठ जाओं, उसको (ऑडिटर) जाके देवों तो घर जाके देवों तो देवो, हम क्यू मना करे, खुद, खुद ही बोल देगे या आपको फोन कर देगे उसके बाद चन्द्रशेखर ने मेरे बिल पास कर दिये है मैने चन्द्र शेखर व असलम से कई बार बात की तो उन्होने रिश्वत राशि लेने से मना कर दिया, अब वह लोग मेरे से रिश्वत नहीं लेगे। मेरे द्वारा पेश की गई 15000 रू की राशि मुझे लौटाई जावे व आगे नियमानुसार जो भी कार्यवाही बनती है की जावे। "। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने बताया कि अब आगे की कार्यवाही संभव नहीं है। परिवादी को रिश्वती राशि लौटाई जानी है इसलिए प्रकरण में दोनो स्वतंत्र गवाह श्री निर्मल स्वामी व श्री भारतेन्दु गोयल को जरिये दूरभाष तलब कर बुलाया तथा दोनो गवाहो को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ कर सुनाया। वक्त 02.00 पीएम पर प्रकरण से संबंधित मूल मैमोरी कार्ड जो मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा हुआ है को परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने पुन डिजिटल वाईस रिकार्डर में डालकर चैक कर सुना व सुनाया गया तो मैमोरी कार्ड में कुल 8 क्लिपस होना पायी गई। जिनमें दिनांक 12.01.2023 की दो क्लिप जिसमें परिवादी व श्री चन्द्र शेखर के मध्य अस्पष्ट वार्ता, परिवादी व श्री संजय गुप्ता ऑडिटर के मध्य हुई जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित वार्ता नहीं है, दिनांक 17.01.23 की

परिवादी व आरोपी श्री अवनीश ऑडिटर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता है, दिनांक 18.01.2023 को परिवादी व असलम के मध्य, परिवादी व संजय गुप्ता के मध्य आदि से संबंधित हुई 5 बार वार्ताओं सहित कुल 8 क्लिपे रिकार्ड है। उक्त मैमोरी क़ार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर में से निकाल कर दोनो गवाहान व परिवादी के समक्ष एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मूल मैमोरी कार्ड को बतौर वजह सबूत शिल्ड किया गया। उक्त शिल्ड शुदा मैमोरी कार्ड व रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की शिल्ड शुदा डीवीडी जो मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखी हुई थी एव उक्त वार्ता की एक डीवीडी अनुसंधान हेतु खुली अवस्था में मालखाना प्रभारी श्री बृज मोहन सिह मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर जमा मालखाना की गई। फर्द नमूना पीतल की सील नम्बर 27 तैयार की जाकर कर शामिल कागजात की गई व प्रयुक्त की गई सील नियमानुसार नष्ट की जाकर फर्द नष्टीकरण बनायी जाकर शामिल कागजात की गई। परिवादी श्री प्रबल कुमार को उसके द्वारा पूर्व में पेश की गई राशि 15000 रूपये(500–500 रूपये के 30 नोट) लौटाये जाकर रसीद प्राप्त की गई। परिवादी व दोनो गवाहान को फारीग किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम व रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता से पाया गया कि परिवादी श्री प्रबल कुमार से आरोपी श्री अवनीश कुमार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, भौतिक सत्यापन दल सं. 16 बीकानेर द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोंग करते हुए भौतिक निरीक्षण के दौरान परिवादी श्री प्रबल कुमार हैल्थ मैनेजर स्वास्थ्य विभाग (संविदा) को कहा कि आपका एग्रीमेन्ट पांच साल तक का था, एग्रीमेन्ट की शर्तो से जयादा समय तक आप संविदा पर सेवाए कर चुके हो इस कारण ऑडिट पैरा बनाना पडेगा। आरोपी द्वारा ऑडिट पैरा नहीं बनाने की एवज में परिवादी से 15000 रू रिश्वती राशि की मांग करने के तथ्य पाये गये तथा श्री डूंगरदत रंगा कम्प्यूटर ऑपरेटर का पैरा नही बनाने के लिए भी 5000 रू रिश्वत राशि की भी मांग करना पाया गया। परिवाद में अंकित श्री चन्द्र शेखर अकाउण्डेट के विरूद्ध काम के बदले रिश्वत मांग से संबंधित तथ्य प्रथम दृष्टया नहीं पाये गये है। इस प्रकार आरोपी श्री अवनीश कुमार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, भौतिक सत्यापन दल सं. 16 बीकानेर का उक्त जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री अवनीश कुमार पुत्र श्री सत्यपाल उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम बिशनपुरा (30 पीएस) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवास बी 34 सादुलगंज बीकानेर हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, भौतिक सत्यापन दल सं. 16 बीकानेर के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(गुरमेल सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल युनिट बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गुरमेल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अवनीश कुमार पुत्र श्री सत्यपाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, भौतिक सत्यापन दल संख्या 16, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 104/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 793-96 दिनांक 2.05.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

2.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।